

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 अप्रैल 2014— वैशाख 10 शक 1936

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 8-70/35/09/2014— पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 27) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम छत्तीसगढ़ के पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण नियम, 2013 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 27);
(ख) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप।
(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।
- अनुसूचित रोगों का नियंत्रण.—(1) अनुसूचित रोगों की सूचना देना— पशुओं के स्वामी अथवा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, किन्हीं भी रोगों की फैलने की सूचना ग्राम अधिवासी एवं पशु चिकित्सक को देंगे। ग्राम अधिकारी, संबंधित

क्षेत्र का भ्रमण (निरीक्षण) करेंगे और तदपश्चात् रोगों की इस तरह फैलने की सूचना पशु चिकित्सा अधिकारी को देंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालक तथा सक्षम अधिकारी को सूचना (रिपोर्ट) दिया जायेगा। संचालक, रोगों के फैलाव के विरुद्ध युक्तियुक्त निवारक उपाय करने के लिये ऐसे अन्य राज्यों, जो ऐसे पड़ोसी क्षेत्र हों, जहां ऐसे रोगों की शीघ्रतः से फैलने की संभावना हो, के संचालकों को सूचना भेजेगा।

(2) संक्रमित पशुओं को अलग रखने का कर्तव्य—प्रत्येक स्वामी, संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखेंगे। समस्त आवासीय संक्रमित पशुओं को संबंधित नगरपालिका, पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्रशासनिक निकायों द्वारा अलग रखा जायेगा।

(3) अधिकारी की नियुक्ति—सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (ए.डी.एफ.ओ.) और निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (पी.ए.आई.डब्ल्यू.), ग्राम अधिकारी होंगे तथा वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करेंगे। सहायक पशु शल्य चिकित्सक, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर पशु चिकित्सक के रूप में कार्य करेंगे। पशु चिकित्सा सेवा के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक, अपने संबंधित जिले के भीतर पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। जिला कलेक्टर, अपने संबंधित जिले में इन नियमों के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प (कोरांटाइन कैम्प) में जांच की रीति एवं निरोध की अवधि— (1) यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्या पशु, किसी अधिसूचित अनुसूचित रोगों से संक्रमित है, चेक पोस्ट में रोक कर रखे गये पशुओं या संगरोध कैम्प (कोरांटाइन कैम्प) में निरुद्ध किये गये पशुओं की जांच, चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प के प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत किया जायेगा, अर्थात्—

(एक) चलने की गति एवं चाल ढाल;

(दो) सुस्त, स्थिन्नचित्त, सामान्य अथवा उत्तेजित व्यवहार;

(तीन) शरीर के तापक्रम में वृद्धि;

(चार) मुंह, पैर अथवा थन में अल्सर;

(पांच) अत्यधिक आंसू, नाक या प्रजनन नलिका से होने वाले स्त्राव;

(छः) पसीने का आना और कपकपाना;

(सात) त्वचा में सूखापन, बाल रहित होना एवं त्वचा के खरोचें;

(आठ) कमजोरी;

(नौ) प्राकृतिक छिद्रों से होने वाला रक्त स्त्राव;

(दस) पशु के गले के नीचे लटकी हुई खाल (गलकम्बल क्षेत्र) में या शरीर के किसी अन्य भाग में पानी भर जाना या सूजन आना।

(2) चेक पोस्ट एवं संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी, प्रयोगशाला परीक्षण, यदि अपेक्षित हो, के लिये आवश्यक नमूना संग्रहित करेगा।

(3) पशुओं के परीक्षण, अनिवार्य टीकाकरण और पहचान/चिन्हांकन आदि के प्रयोजन से चेक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी, 12 घण्टे से अनधिक अवधि के लिए पशुओं को निरुद्ध रख सकेगा। चेक पोस्ट में टीकाकरण किये गये प्रत्येक पशु के लिये, पशुओं के स्वामी को अधिनियम की धारा 9 के अनुसार टीकाकरण प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

(4) पशुओं के परीक्षण के पश्चात्, प्रभारी अधिकारी इन नियमों से यथा संलग्न प्ररूप क के अधीन प्रवेश अनुज्ञापत्र जारी करते हुए, या तो पशुओं को अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा या संगरोध कैम्प में ऐसे पशुओं का अभिवहन करेगा।

(5) परीक्षण करने के पश्चात्, यदि चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी यह पाता है कि कोई भी पशु, किसी अनुसूचित रोग से ग्रसित है तो ऐसे पशुओं को निरुद्ध किया जाएगा तथा अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित संस्थान को संगरोध कैम्प के रूप में माना जाएगा।

(6) संगरोध कैम्प में, अधिकतम संगरोध अवधि 14 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(7) चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प में पशुओं के परीक्षण, टीकाकरण एवं कर्ण छेदन अथवा कोई अन्य गतिविधि संबंधी व्यय, संचालक द्वारा समय-समय पर नियत किया जायेगा तथा उक्त व्यय का वहन पशुओं के स्वामी द्वारा किया जायेगा।

5. अनुज्ञा प्रदान करने के लिये संगरोध कैम्प के प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ:-

(1) संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी ऐसे पशुओं को निरुद्ध करेगा, जो कि:-

(एक) किसी अधिसूचित अनुसूचित रोगों से ग्रस्त हो; या

(दो) अधिसूचित अनुसूचित रोगों से संक्रमित पशुओं के सम्पर्क में आता हो या निकटस्थ रखे गये हों;

(2) संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी, इस प्रकार निरुद्ध पशुओं की कार्यालयीन पावती, जो कि इन नियमों से यथा संलग्न प्ररूप ख के अधीन जारी होगा, पशुओं के स्वामी को देगा।

(3) संगरोध के दौरान, पशुओं के कान छेद कर एक विशिष्ट नम्बर लगाया जायेगा। ऐसे पशुओं की जांच किसी अनुसूचित रोगों के लक्षण होने तक नियमित रूप से किया जायेगा। अनुसूचित रोगों के विरुद्ध उनका टीकाकरण किया जायेगा तथा टीकाकरण उपचार, यदि अपेक्षित हो, किया जायेगा। टीकाकरण होने पर पशुओं के स्वामी को अधिनियम की धारा 9 के अनुसार टीकाकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(4) संगरोध के दौरान पशुओं के रख-रखाव एवं टीकाकरण पर होने वाले व्यय की राशि का निर्धारण संचालक द्वारा समय-समय पर किया जायेगा तथा उक्त व्यय का वहन पशुओं के स्वामी द्वारा किया जायेगा।

(5) संगरोध सफल होने के पश्चात्, संगरोध कैम्प के प्रभारी अधिकारी, पशु के स्वामी को पशु सौंप देगा तथा इन नियमों से यथा संलग्न प्ररूप ग के अधीन संगरोध निर्मुक्त अनुज्ञापत्र अपने हस्ताक्षर के अधीन जारी करेगा जो अधिनियम की धारा 15 (2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रवेश अनुज्ञापत्र के रूप में कार्य करेगा।

6. क्षेत्राधिकार.-यदि इन नियमों के संबंध में, निर्वचन का कोई संदेह या प्रश्न उद्भूत होता है तो इस विषय को संचालक, पशुपालन, छत्तीसगढ़ शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7. पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व.-चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प में पशुओं को निरुद्ध करने के दौरान, पशु का स्वामी संबंधित प्राधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा तथा पशुओं के टीकाकरण, इलाज तथा देखभाल में मदद करेगा। यदि चेक पोस्ट या संगरोध कैम्प में किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व पशु के स्वामी का होगा और राज्य शासन द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

8. निधि.- (1) इन नियमों के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु, राज्य या केन्द्र शासन लेखन सामग्री, पावती पुस्तिका, कान के बिल्ले, टीकाद्रव्य, औषधि, आहार, चारा, बर्तन, उपकरण, परिवहन, मजदूरी (श्रम की राशि) तथा संगरोध अवधि के दौरान हुए अन्य विविध व्यय (प्रभार) इत्यादि के लिये आवश्यक निधि प्रदान करेगा।

(2) पशुओं के रख-रखाव, टीकाकरण, उपचार, कान में बिल्ला लगाने में इत्यादि के लिये प्रभार के रूप में पशुओं के स्वामी से प्राप्त धनराशि, राज्य शासन के राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

9. इन नियमों में संशोधन.-यदि आवश्यक हो तो, पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 27) की धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य शासन, केन्द्र शासन के पूर्व अनुमोदन से और संशोधन कर सकेगा या नये नियम बना सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

प्ररूप क
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
प्रवेश अनुज्ञा पत्र
देखिये नियम 4(4)

अनुज्ञा पत्र क्रमांक (विशिष्ट प्रमाणपत्र क्रमांक)

नीचे वर्णित समस्त पशुओं को (अधिसूचित अनुसूचित रोग का नाम) से मुक्त पाया गया है और आज दिन (तारीख) को उन्हें नियंत्रित/उन्मूलित क्षेत्र (क्षेत्र का नाम) में प्रवेश/से निर्गमन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

चेक पोस्ट का विवरण			
स्थान			
पशु के स्वामी का विवरण			
पशु के स्वामी का नाम व पता			
पशुओं को कहाँ से लाया गया है			
पशुओं को कहाँ भेजा जाना है			
पशु का विवरण			
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
प्रजाति			
नस्ल			
आयु			
लिंग			
रंग			
टीकाकरण प्रमाणपत्र क्रमांक			
प्रवेश अनुज्ञा पत्र जारी करने का विवरण			
जारी करने की तारीख		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

प्ररूप ख
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती
देखिये नियम 5 (2)

प्रमाण पत्र क्र.

नीचे वर्णित समस्त पशुओं को आज दिन..... को 14 दिवस की अवधि के लिए मेरे द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है, अर्थात्:-

संगरोध कैम्प का विवरण			
स्थान			
पशु के स्वामी का विवरण			
पशु के स्वामी का नाम एवं पता			
पशुओं को कहां से लाया गया है			
पशुओं को कहां भेजा जाना है			
पशु का विवरण			
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
प्रजाति			
नस्ल			
आयु			
रंग			
लिंग			
टीकाकरण प्रमाणपत्र क्रमांक			
संगरोध कैम्प से जारी अभिरक्षा पावती का विवरण			
जारी करने की तारीख		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

प्ररूप ग
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
संगरोध निर्मुक्ति अनुज्ञा पत्र
देखिये नियम 5 (5)

अनुज्ञा पत्र क्र.

संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती क्र.—

नीचे वर्णित समस्त पशुओं को (अधिसूचित अनुसूचित रोग का नाम) से मुक्त पाया गया और आज दिन (दिनांक) को संगरोध कैम्प से निर्मुक्त किया गया तथा उन्हें नियंत्रित/उन्मूलित क्षेत्र में प्रवेश/से निर्गमन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

संगरोध कैम्प का विवरण			
स्थान			
पशुओं का संगरोध कब से		पशुओं का संगरोध कब तक	
पशु के स्वामी का विवरण			
पशु के स्वामी का नाम एवं पता			
पशुओं को कहाँ से लाया गया है			
पशुओं को कहाँ भेजा जाना है			
पशु का विवरण			
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचानसंख्या			
प्रजाति			
नस्ल			
आयु			
रंग			
लिंग			
टीकाकरण प्रमाणपत्र क्रमांक			
संगरोध निर्मुक्ति अनुज्ञापत्र जारी करने का विवरण			
जारी करने की तारीख		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

Raipur, the 3rd April, 2014

NOTIFICATION

No. F 8-70/35/09/2014. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009), the State Government, hereby, makes the following Rules, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Rules, 2013.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (i) "Act" means the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009);
 - (ii) "Form" means a form appended to these rules.
 (2) Words and expressions, used but not defined in these rules shall carry the same meaning as has been assigned to it in the Act.
3. **Control of Scheduled Diseases.**-(1) Reporting of Scheduled Diseases - Owner of the animals or village Panchayat representative shall report any outbreak of disease to the Village Officer and Veterinarian. The Village Officer shall visit the concerned area and thereafter report such outbreak of the disease to the Veterinary Officer. A report shall be made by the Veterinary Officer to the Director and to the Competent Officer. The Director shall send intimation to Directors of other States, which are in the immediate neighbourhood of the area of such outbreak, for appropriate preventive measures against spreading of the disease.
(2) Duty to segregate infected animals - Every owner shall segregate infected animals from the healthy animals. All infected stray animals shall be segregated by the concerned Municipality, Panchayat or other local administrative bodies.
(3) Appointment of officer - Assistant Veterinary Field Officer (A.V.F.O.) and Private Artificial Insemination Worker (P.A.I.W.) shall be Village Officers and they shall act within their jurisdiction. Veterinary Assistant Surgeon shall act as Veterinarian within his jurisdiction. Joint Director and Deputy Director of Veterinary Services shall act as Veterinary Officer within their concerned district. District Collector, in his concerned district, shall be a Competent Authority for the purposes of these rules.
4. **Manner of inspection and period of detention at a Check Post or at Quarantine Camp.**-(1) In order to ascertain whether an animal is infected with any of the notified Scheduled Diseases, the animal stopped at the Check Post or detained in the Quarantine Camp shall be inspected under the following heads by the officer-in-charge of the Check Post or Quarantine Camp, namely:
 - (i) movement and gait;
 - (ii) dull, depressed, normal or excited behaviour;
 - (iii) increase in body temperature;
 - (iv) ulcer in the mouth, feet or udder;
 - (v) excessive lacrimation, nasal or vaginal discharge;
 - (vi) sweating and shivering;
 - (vii) dryness of the skin, alopecia, skin rashes;
 - (viii) weakness;

- (ix) bleeding through natural openings;
 - (x) oedema or swelling in dewlap region or any other part of the body.
- (2) The officer-in-charge of the Check Post or Quarantine Camp shall collect necessary samples for laboratory examination, if required.
- (3) The officer-in-charge of the Check Post may detain animals for the purpose of inspection, compulsory vaccination and identification /marking etc. for a period not exceeding 12 hours. For every animal vaccinated at the check post, the animal owner shall be given a vaccination certificate in accordance with Section 9 of the Act.
- (4) After examination of the animals, the officer-in-charge shall either allow entry of the animals to the notified Controlled Area or Free Area by issuing an Entry Permit under Form A, as appended to these Rules, or transport such animals to the Quarantine Camp.
- (5) If after inspection, the officer-in-charge of the check post finds that any animal is suffering from any Scheduled disease, such animal shall be detained and the concerned institution shall be treated as Quarantine Camp for further action.
- (6) In a Quarantine Camp, Maximum quarantine period shall not exceed 14 days.
- (7) The cost of examining, vaccinating and ear-tagging the animals or of any other activity at the Check Post or at Quarantine Camp shall be fixed by the Director, from time to time, and shall be borne by the animal owner.
- 5. Powers of the officer-in-charge of the Quarantine Camp to grant permits.-** (1) The officer-in-charge of the Quarantine Camp shall detain such animals, that :-
- (i) are suffering from any notified Scheduled Disease; or
 - (ii) have come in contact with or have been kept in the proximity of an animal infected with a notified Scheduled Disease.
- (2) The officer-in-charge of the Quarantine Camp shall give an official acknowledgement of the animals so detained to the animal owner, issued under Form B, as appended to these rules.
- (3) During quarantine, the animals shall be ear-tagged bearing a unique number. Such animals shall be examined regularly for symptoms of any Scheduled Disease. They shall be vaccinated against the Scheduled Disease and be provided with veterinary treatment, if required. On vaccination, the animal owner shall be provided with a vaccination certificate in accordance with Section 9 of the Act.
- (4) The cost of maintenance and vaccination of the animals during quarantine shall be fixed by the Director, from time to time, and borne by the animal owner.
- (5) After successful quarantine, the officer-in-charge of the Quarantine Camp shall release the animals to the animal owner and issue under his signature, a Quarantine Release Permit under Form C, as appended to these rules, which shall also serve as Entry Permit as required under Section 15(2) of the Act.
- 6. Jurisdiction.-** If any doubt or question of interpretation arises, in relation to these rules, the matter shall be referred to the Director of Animal Husbandry, Government of Chhattisgarh, whose decision thereon shall be final and binding.
- 7. Responsibilities of the animal owner.-** During the detention of animals at the Check Post or Quarantine Camp, the owner shall co-operate with the concerned authority and help in vaccination, treatment and maintenance of the animals. If any mortality occurs at the Check Post or Quarantine Camp, the owner of the animal shall be fully responsible and no compensation shall be provided by the State Government.
- 8. Funds.-** (1) The State or Central Government shall provide necessary funding for stationary, receipt book, marking tags, vaccine, medicines, feed, fodder, utensils, equipments, transportation, labour charges and other miscellaneous expenditures during the quarantine period, for effective implementation of these rules.

(2) The money received from the owner of the animals, as charges for maintenance, vaccination, ear tagging etc., shall be deposited under the revenue receipt head of the State Government.

9. **Amendment to these rules.**-If required, the State Government may further amend or make new rules with the prior approval of the Central Government under sub-section (1) of Section 43 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

Form A
Department of Livestock Development
Government of Chhattisgarh
Entry Permit

See Rule 4(4)

Permit No. (unique certificate number).....

All the animals described below are found free from (notified Scheduled Diseases name) and on this day (date) granted entry / exit from/ to the (name of the area) controlled / eradicated area.

Details of Check post			
Location			
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Animal details			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification no.			
Species			
Breed			
Age			
Sex			
Colour			
Vaccination certificate No.			
Entry Permit issue detail.			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

Form B
Department of Livestock Development
Government of Chhattisgarh
Quarantine Camp Custody Acknowledgement

See Rule 5(2)

Certificate No.

All the animals described below have been taken in my custody on this day----- for a period of 14 days, namely:-

Details of Quarantine Camp			
Location			
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Animal details			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification no.			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Sex			
Vaccination Certificate no.			
Quarantine Camp Custody Acknowledgement issue details			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

Form C
Department of Livestock Development
Government of Chhattisgarh
Quarantine Release Permit

See Rule 5(5)

Permit No.

Quarantine Camp Custody Acknowledgment No.-

All the animals described below are found free from (name of notified scheduled disease) and on this day(date) released from the Quarantine Camp and granted entry/exit from/to the controlled/eradicated area.

Details of Quarantine Camp			
Location			
Quarantine of animals from		Quarantine of animals to	
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Animal details			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification no.			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Sex			
Vaccination Certificate no			
Quarantine Release Permit issue details			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	